न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द आर.ए.एस.

अपील संख्या 2010/00024 (51/2010) 223 आरटीएक्ट

माणकचन्द पुत्र स्व0 श्री दीपाराम कुम्हार वार्ड नं. 15 रावतसर जिला हनुमानगढ़।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. हनुमान पुत्र दीपाराम जाति कुम्हार निवासी कुम्हारों का मोहल्ला पुरानी लाईन गंगाशहर तहसील व जिला बीकानेर राजस्थान। (फौत)

1/1 राधा देवी पत्नी हनुमान जाति कुम्हार निवासी कुम्हारों का मोहल्ला पुरानी लाईन गंगाशहर तहसील व जिला बीकानेर राजस्थान

1/2 औमप्रकाश पुत्र हनुमान जाति कुम्हार निवासी कुम्हारों का मोहल्ला पुरानी लाईन गंगाशहर तहसील व जिला बीकानेर राजस्थान

1/3 शिव कुमार पुत्र हनुमान जाति कुम्हार निवासी कुम्हारों का मोहल्ला पुरानी लाईन गंगाशहर तहसील व जिला बीकानेर राजस्थान

1/4 पुष्पा पुत्री हनुमान पत्नी धनराज जाति कुम्हार निवासी कुम्हारों का मोहल्ला पुरानी लाईन गंगाशहर तहसील व जिला बीकानेर राजस्थान

1/5 बाधू पुत्री हनुमान जाति कुम्हार निवासी कुम्हारों का मोहल्ला पुरानी लाईन गंगाशहर तहसील व जिला बीकानेर राजस्थान

1/6 बसंती पुत्री हनुमान पत्नी रामलाल जाति कुम्हार निवासी कुम्हारों का मोहल्ला पुरानी लाईन गंगाशहर तहसील व जिला बीकानेर राजस्थान

2. भंवरी देवी पत्नी नानक पुत्री स्व0 श्री दीपाराम जाति कुम्हार निवासी कुम्हारों का मोहल्ला पुरानी लाईन गंगाशहर तहसील व जिला बीकानेर राजस्थान हाल सरकारी स्कूल के पास गांव उदयरामसर तहसील बीकानेर जिला बीकानेर राजस्थान

–रेस्पोडेण्ट्

बिरूद्ध आदेश दिनांक 04.03.2010 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा प्रकरण संख्या 132/2009 बअनवानी हनुमान बनाम मानकचन्द

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री कुलदीपसिह रमाणा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1/1 से 1/6

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 2

निर्णय दिनांक:–25.06.2019

1. सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के समक्ष हनुमान ने दावा बाबत घोषणात्मक एवं शाश्वत व्यादेश प्रस्तुत कर चक 36 एसटीजी ''ए'' के पत्थर नम्बर 9/351 किला नं. 1 ता 19, 22 ता 25 कुल 5.655 है0 भूमि में 1/2 हिस्सा दर्ज थी जो उनकीं मृत्यु के बाद वादी व प्रतिवादी संव 1 व 2 के नाम बतौर वादी बहिस्सा बराबर दर्ज हुई परन्तु दीपाराम द्वारा वादी के पक्ष में दिनांक 21.4.95 को उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वर्णित भूमि की वसीयत निष्पादित कर दी थी इसलिए उद्घोषणा चाही कि उक्त वर्णित भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के स्थान पर खातेदार काश्तकार उदघोषित किया जावे एवं स्थाई निषेधाज्ञा का भी अनुतोष चाहा जो विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय से स्वीकार कर दावा वादी/रेस्पोडण्ट संख्या 1 डिक्री किया गया है जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान के हक में हुए विरास्तन इंतकाल को निरस्त करते हुए रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वसीयत के आधार पर एक पक्षीय दावा गलत रूप से डिक्री किया है जो खारिज योग्य है। विचारण न्यायालय ने अपीलाण्ट की तामील अखबार जो बीकानेर से प्रकाशित होता है में नोटिस प्रकाशित कर तामील दर्शाई जाकर एकपक्षीय कार्यवाही कर डिक्री पारित की है जबकि अपीलाण्ट अखबार में नोटिस साया होने के वक्त एवं उसके पूर्व ही रावतसर में आकर निवास करने लग गया था, राशनकार्ड की प्रति अपील में पेश की है जिससे यह सिद्ध होता है । प्रश्नगत भूमि का नामान्तरकरण वारीसान की सहमति से हुआ था जिसके 13 साल बाद संदेहास्पद वसीयत के आधार पर अपीलाण्ट को बिना साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये वसीयत को सिद्ध किये बिना एकपक्षीय निर्णय व डिक्री रेस्पोडेंण्ट ने गलत प्राप्त की है इसलिए अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने एवं प्रकरण रिमाण्ड किये जाने का कथन किया। अपने कथनों के समर्थन में 2012 आरआरटी पेज 469, 2010 डीएनजे एस-सी पेज 376, आरआरडी 1995 पेज 27 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1/1 से 1/6 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील मियाद बार पेश की गई है। जिस व्यक्ति से अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान होना बताया है उसका शपथ-पत्र अपील में प्रस्तुत नहीं किया है। अपील 13 दिन के विलम्ब से पेश की गई है। अपीलाण्ट बीकानेर रहता है। अपील 2010 में हुई उस समय मतदाता सूची में एवं पहचान पत्र अनुसार अपीलाण्ट बीकानेर में निवास करना बताया है। घोषणा के दावे में कोई मियाद निर्धारित नहीं है। अपीलाण्ट के पते पर पहले पंजीकृत डाक से सम्मन भेजा गया तत्पश्चात् अखबार में साया करवाया गया। वसीयत के फर्जी होने संबंध में क्षेत्राधिकार सिविल कोर्ट को है। वसीयत के दोनों गवाहों की मृत्यु होने पर अन्य गवाहान को बुलाकर वसीयत को साबित करवाया है। अपीलाण्ट को आदेश 9 नियम 13 के तहत अधीनस्थ न्यायालय में एकपक्षीय कार्यवाही स्थगित करवानी चाहिए थी। अपीलाण्ट की अपील कतई पोषणीय नहीं है एवं मियाद बाहर भी है। इसलिए अपील खारिज की जावे। अपने कथनों के समर्थन में 90 आरआरडी पेज 547 , 1998 आरआरडी पेज 407, 2001 आरआरडी पज 223 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध होने का कथन करते हुए अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

6. उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
7. अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात राशनकार्ड असल राशन कार्ड एवं नोटेरी से प्रमाणित प्रति राशन कार्ड अपील के निस्तारण में सहायक दस्तावेज होन के कारण प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अपीलाण्ट स्वीकार किया जाता है।
8. अपीलाण्ट के प्रार्थना–पत्र के रिबटल में रेस्पोडेण्ट द्वारा भी आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ जिसके साथ मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति होनें के कारण एवं अपील के निस्तारण में सहायक दस्तावेज होने के कारण रेस्पोडेण्ट का प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाता है।
9. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र. अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट रावतसर में निवास करता है अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.03.2010 को पारित होने के दिन एव इससे पूर्व भी वह रावतसर में निवास कर रहा था। जिस हेतु उसके द्वारा असल राशनकार्ड प्रस्तुत किया गया है। जिसमें लगभग 2003 से लगातार उसके द्वारा राशन लिए जाने की प्रविष्टि दर्ज है। जिससे अपीलाण्ट के रावतसर में निवास करने के कथनों को बल मिलता है। ऐसी स्थिति में न्यायहित में अपील प्रकरण का निस्तारण गुणागवुण पर किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए अपील प्रस्तुति में हुई देरी कण्डोन की जाती है। आवेदन पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। राशन कार्ड एवं पत्रावली के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलाण्ट को दावे में विचारण के दौरान समुचित अवसर नहीं मिला जिससे उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाना अपेक्षित था।
10. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय में दावा वसीयत के आधार पर उद्घोषणा का था एवं वसीयत को सिद्ध करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष शपथ–पत्र हनुमान स्वयं वादी एवं वसीयत के गवाहान पूनमचन्द व लिखमाराम के फौत होंने के कारण उनके पुत्रान कालूराम पुत्र पुनमचन्द, महावीर प्रजापत पुत्र लिखमाराम के प्रस्तुत हुए हैं परन्तु वसीयत के लेखक को उपस्थित करवा कर उसके बयान नहीं करवाये गये हैं एवं विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वसीयत शपथ–आयुक्त द्वारा अटेस्टैड है। हालांकि प्रस्तुत चित्रप्रति वसीयत पर प्रदर्श पी–2ए दिनांक 26.02.2010 लाल स्याही से अंकित है परन्तु भारतीय उत्तराधिकार अधिनिमय 1925 की धारा 63 के अनुसार सिद्ध किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में अधीवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 1995 पेज 27 माननीय उच्च न्यायालय, 2012 आरआरटी पेज 469, 2010 डीएनजे एस–सी पेज 376, अपीलाण्ट के कथनों को बल देता है। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। इस कारण उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों के आलौक में अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को पक्षकारान के जवाब, साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते

Web copy - Not Official

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

है। रेस्पोडेण्ट के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण के तथ्यों से भिन्न तथ्यों पर आधारित होने के कारण इस प्रकरण में चस्पा नहीं होते हैं।

11. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.03.2010 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को जवाब, साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25.06.2019 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

25/6/19

(मूल चन्द आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official